"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8.] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2005—फाल्गुन 6, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से., (1989), आयुक्त, आदिवासी विकास के चुनाव पर्यवेक्षक ड्यूटी की अवधि में श्री पी. नरसिंग राव, (भा. व. से.) विशेष सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास का चालू प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2005

क्रमांक एफ-5-11/2004/एक/8.—श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग जब मध्यप्रदेश मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, तत्समय उनके विरुद्ध थाना कोतवाली शिवपुरी में दर्ज अपराध क्रमांक 644/96 में मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक फा. क्र./8/2000/प्र.क्र./453/21-क (अभि.), दिनांक 6-5-2000 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई थी. तद्नुसार श्री तिवारी के विरुद्ध अभियोजन हेतु माननीय सी. जे. एम. न्यायालय शिवपुरी में चालान प्रस्तुत किया गया है.

2. अत: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक के अंतर्गत श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

3. निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय मंत्रालय, रायपुर निर्धारित किया जाता है.

4. श्री तिवारी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक/433/डी-15/244/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्राम सलिहाभाठा (तमनार) तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ की खसरा नंबर 577/1 की 1.773 हेक्टेयर भूमि को जिसके उत्तर में छबिशंकर अघरिया की निजी भूमि तथा नाला, दक्षिण में शासकीय सड़क, पूर्व में शासकीय भूमि तथा पश्चिम में पुनऊ गोंड की निजी भूमि से घिरे मंडी क्षेत्र में कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सहित भूमि को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है.

Raipur, the 8th February 2005

No./433/D-15/244/04-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, declare the 1.773 hectre land of Khasra No. 577/1 situated at Village Salihabhata. (Tamnar) Tehsil Gharghoda, District Raigarh, including any structure, enclosure open place or locality in market area, surrounded by private land of Chhabishankar Aghariya and Nala in North, Government Road in South, Government Land in East and Private Land of Punau Gond in West, as Sub-Market yard.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान नियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम रायपुर की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एतद्द्वारा खसरा नंबर 138 की 2.738 हेक्टेयर, खसरा 139 की 0.036 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 141 की 0.142 हेक्टेयर की समाविष्ट भूमि रायपुर नगर स्थित जिला रायपुर (1) उत्तर में रेल्वे लाईन (2) दक्षिण में नहर (3) पूर्व में रायपुर बलौदाबाजार मार्ग (4) पश्चिम में नया आफिसर्स कालोनी से घिरे, को मोटरयान नियम, 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रुकने के प्रयोजन हेतु रायपुर में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, आयुक्त नगर निगम रायपुर को उक्त बस स्थानक के रख-रखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करती है.

Raipur, the 8th February 2005

No. F 5-1/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by rule 204 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, read with section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) in consulation with Municipal Corporation Raipur, the Regional Transport Authority hereby declare the land comprising of 2.738 Hectare of Survey Number 138, 0.039 Hectare of Survey Number 139 and the 0.142 Hectare of Survey Number 141 situated at City Raipur , District Raipur surrounded by (1) Railway line in North (2) Canal in South (3) East in Raipur, Balodabazar (4) New Officers Colony in West as specified bus stand at for the purpose of standing the Public Service Vehicle for the period specified in section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988, Regional Transport Authority also authorize Commissioner, Municipal Corporation Raipur to maintain the said bus stand, building of works necessary there to and realize necessary fees from owners/operators of the Public Service Vehicle as provided under the provision of Rule 204 the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक एफ-5-13/दो/आठ/परिवहन/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 2003, 3 फरवरी 2004 एवं 23 अक्टूबर 2004 के निरंतरता में केन्द्रिय मोटरयान नियम 1989 के नियम, 108 के खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को भी उनके शासकीय वाहन के अग्रभाग में लालबत्ती लगाने हेतु विनिर्दिष्ट करता है :—

1. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
2. अध्यक्ष, राज्य अत्यांवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
3. अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण.

Raipur, the 11th February 2005

No. F 5-13/2/8/Transport/2001.—State Government in continuation of this department's Notification of even number dated 12th march 2003, dated 3rd February 2004 & dated 23rd October 2004 hereby specify the following persons also for the purpose of clause (111) of the provision to rule 108 of the Central Motor Vehicle Rule 1988 for desplaying Red Light on top of their Official vehicle.

1. Adhykch Rajya Mahila Ayog
2. Adhykch Rajya Antavsayi Vitt & Vikas Nigam
3. Adhykch Raipur Vikas Pradhikaran.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्रमांक एफ-3-39/दो (तीन-जेल) 2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छ. ग. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 11 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (3) (क) अंत:स्थापित किया जाए :—

(3) (क) महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण :—राज्य सेवा के सीधी भर्ती के किसी सेवा नियम में उल्लिखित किसी खण्ड के अध्यधीन "वार्डर" के पद में महिलाओं के लिए आरक्षण समस्तर और प्रभागवार 10 प्रतिशत होगा.

स्पष्टीकरण :—समस्तर और प्रभागवार आरक्षण से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात्-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा सामान्य प्रवर्ग में आरक्षण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्रमांक एफ-3-39/दो (तीन-जेल) 2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 3-2-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्य के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

Raipur, the 3rd February 2005

No. F-3-39/Two (Three-Jail) 2004.—In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Class Three (Non Ministerial and Ministerial) Jail Service Recruitment, 1974, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After sub-rule (3) of rule 11, the following sub-rule (3) (a) shall be inserted :—

"11 (3) (a) Reservation of post for women :—

Subject to any clause mentioned in any service rule to the direct recruitment of State Service, the reservation for the women in the post of "Warder" shall be 10% Horizental and Compartment wise.

Explanation :—Horizental and Compartment wise reservation means reservation for every category namely, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes and General Category.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AWADH BIHARI, Special Secretary.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2005

क्रमांक एफ-3-1/2001/10-2.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1/2001/10-2 दिनांक 11-10-2004 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया है. उक्त अधिसूचना में बोर्ड के सरल क्रमांक 3 में निहित विधान सभा के 3 विधायकों को सदस्य रखे जाने के प्रावधानानुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों को राज्य वन्यजीव बोर्ड में सदस्य नामांकित करता है :—

(1) श्री लच्छुराम कश्यप, विधान सभा क्षेत्र, चित्रकोट

(2) संजीव शाह, विधान सभा क्षेत्र, चौकी

(3) श्री बद्रीधर दीवान, विधान सभा क्षेत्र, सीपत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय. उम्मेन, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 1591/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	देवरी प. ह. नं. 1	0.22	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना के अंतर्गत देवरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 1591/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	देवसरा प. ह. नं. 1	2.62	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना के अंतर्गत देवरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

क्रमांक 6830/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	बालूद	3.718	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	गोंडरे व्यपवर्तन योजना, बालूद हेतु मुख्य नहर एवं शाखा नहर निर्माण.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

क्रमांक 6831/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम	गोल्लागुड़ा	0.82	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-16 के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/04-05/04/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	अधनपुर	28.03	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर.	आवासीय भवनों का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1813/प्र. 1/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-चिचलगोंदी, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	493	0.02
	492/1	0.10
योग		0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चिचलगोंदी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 155/न.ग्रा.नि./05.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कवर्धा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति जिला कार्यालय कबीरधाम कवर्धा, प्रदर्शनी स्थल नया बस स्टैण्ड कवर्धा, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् कवर्धा के कार्यालयों में दिनांक 9-2-2005 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. कवर्धा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

कवर्धा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम-सगोना, ग्राम-तालपुर, ग्राम-जोराताल एवं ग्राम-नेवारी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम-नेवारी, ग्राम-खुंटू ग्राम-कवर्धा, ग्राम-छिरहा, ग्राम-घोठिया एवं ग्राम-झलका की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम-जेवड़नकला, ग्राम-भागूटोला, ग्राम-झलका एवं ग्राम-छिरहा की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में - ग्राम-जेवड़नकला, ग्राम-कवर्धा, ग्राम-सगोना, ग्राम-समनापुर एवं ग्राम-तालपुर की पश्चिमी सीमा.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

Rajnandgaon, the 9th February 2005

No.155/N.G.N./05.—Notice is hereby given that the existing use map for Kawardha Planning Area has been prepared under sub-section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is avilable for inspection from 9th Feb. 2005 during office hours in the Office of Collector, Kabirdham, Kawardha, Exhibition Venue-New Bus Stand, Kawardha, Office of Assistant Director-Town & Country Planning, Rajnandgaon & Office of the Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Kawardha. The limit of the Kawardha Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

LIMITS OF KAWARDHA PLANNING AREA

North - Village-Sagona, Village-Talpur, Village-Joratal & upto Northern limit of Village-Newari.

East - Village-Newari, Village-Khuntu, Village-Kawardha, Village-Ghothiya & upto Eastern limit of Village Jhalka.

South - Village-Jeodand Kalan, Village-Bhagutola, Village-Jhalka & upto Southern limit of Village-Chhiraha.

West - Village-Jeodand Kalan, Village-Kawardha, Village-Sagona, Village-Samanapur & upto Western limit of Village-Talpur.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning, Chhattisgarh, Raipur within a period of thirty days from the that date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director.

विनीत नायर,
सहायक संचालक.